13/10/23 न्यायालय उपस्थित/अनुपस्थित ... अधिकारी के ... पधारे है। गतानुसार ... 17-10-23 ... पेश किया।

17/10/23 पत्रावली पेश हुई। बहसलाल उपस्थित। प्रकरण में संशोधित चार्ज पत्र में धारा 8, 10 की तामील प्राप्त। धारा 8, 10 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जाती है। एवं संशोधित चार्जशीट में धारा 4/1 सा. 4/5 की मुकदमे कायम मुकाम दफा कायम हुकम सजा में तामील है। धारा 8, 10 के खिलाफ Ex party की गई। बाद पत्र में संशोधित चार्जशीट में भी 4/1, 4/5 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल जो कायम हुकम दफा में अमल लाई गई। कार्यवाही मुताबिक धारा 4 के बाबिस 4/1 सा. 4/5 की सजा की ईजाद। अतः संशोधित चार्जशीट 4/1 सा. 4/5 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही। पत्रावली बाबते बहस दि० 20-10-23 को पेश हो।

20/10/23 पत्रावली पेश हुई। बहसलाल उपस्थित। प्रकरण में आर्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली बाबते आदेश दि० 23-10-23 को पेश हो।

23/10/23 पत्रावली पेश हुई। आर्थी वकील उपस्थित। आर्थी गण का प्रा० पत्र धारा 128 एल. आर. एक्ट सिद्ध आर्थी गण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय मुद्रक को लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाया। पत्रावली पैमाइश शुमार ठीकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)